Doctors' Strike

2863. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Specialist Doctors Federation and Specialist Officers Association of Central Health Service have not supported the agitation launched by Post Graduate medical officers through JACSDO;

(b) whether it is also a fact that the SDF has demanded certain modifications in the Tikku Committee report;

(c) if so, the details in this regard; and

(d) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Specialists have requested that they should be promoted in six years instead of in eighth years to the scale of Rs. 4500—5700; they should be made eligible for promotion to posts in the scale of Rs. 5900—7300 after nine years of service; existing posts of Specialists Grade—I should be upgraded enmasse to Senior Administrative Grade; at least 10 per cent posts should be in the Higher Administrative Grade including some specific posts mentioned; age of superannuation should be increased to 60 years and there should be parity between various Specialist Sub-Cadres.

(d) Decisions taken on the recommendations of the Tikku Committee Report have been announced on 14-11-1991. The points now raised by the different sections of doctors are being examined sympathetically.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2864. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता के आधार पर निष्पादित किये जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक रूप से कितना वित्तीय आबंटन किया जा रहा है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार सभी धन राशि खर्च की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इन कार्यक्रमों के संबंध में कोई आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (संविधान के अन्तर्गत, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कुछ योजनाओं के माध्यम से कुछेक रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिये राज्य सरकारों को सहायता देती है। रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिये महत्वपूर्ण कार्यक्रम विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों (केन्द्रीय रूप से